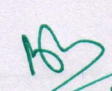
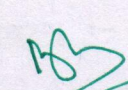


न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

प्रदीप कुमार वगै० बनाम् बाची साव वगै०

वाद संख्या -07/2024

धारा - 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.03.2024	<u>आदेश</u> आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रदीप कुमार, पिता-स्व० कन्हैया साव एवं अन्य, साकिन- साहु मुहल्ला बगोदर, थाना- बगोदरन, जिला- गिरिडीह के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर विवादित भूमि, मौजा- बगोदर, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह, खाता न०- 269, प्लॉट न०- 4022, रकबा- 05 डी० चौहद्दी : न०- जीतन साव, द०- तालेश्वर साव वगै०, पू०- खिरू साव वगै०, प०- लाटो साव वगै० पर दिनांक 08/01/2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त विवाद ग्रस्त जमीन पर जाने तथा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। साथ ही निषेधाज्ञा संपुष्टि हेतु कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत वाद की समयअवधि 60 दिनों की ही होती हैं। आज 60 वें दिन तक भी दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। अतः इस वाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाता है और निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  11.03.2024 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।  11.03.2024 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	